न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 57/2022

1. श्रीमती अनारी देवी धर्मपत्नी स्व. जगदीश प्रसाद,जाति जांगिड़, निवासी गुढा गौड़जी, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।
2. मनोज उर्फ मनेश आयु 42 वर्ष पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद,जाति जांगिड़,निवासी गुढा गौड़जी, तहसील गुढा गौड़जी, जिला झुंझुनू।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. रामप्रताप पुत्र सूरजाराम जाति जांगिड़, निवासी टोडी तहसील गुढागौड़जी,झुंझुनू।
2. विनोद कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी गुढागौड़जी,जिला—झुंझुनू।
3. सज्जन कुमार पुत्र रामप्रताप आयु 61 वर्ष जाति जांगिड़, निवासी टोडी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू।
4. पवन कुमार पुत्र रामप्रताप आयु 61 वर्ष जाति जांगिड़, निवासी टोडी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू।
5. विजय कुमार पुत्र रामप्रताप आयु 61 वर्ष जाति जांगिड़, निवासी टोडी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू।
6. मोतीलाल पुत्र सूरजाराम जाति जांगिड, निवासी गुढागौड़जी, तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू।
7. तहसीलदार (भू.अ)गुढागौड़जी तहसील गुढा गौड़जी,जिला झुंझुनू।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण दिनांक 03.06.2022
तहसीलदार भू0अ0 गुढागौड़जी जिला—झुंझुनू

उपस्थितिः—

1 .श्री इन्द्रजीत शर्मा, एडवोकेट ——————————अपीलांटस की ओर से ।
2. श्री महेन्द्र कुमावत, एडवाकेट————रेस्पोंडेंट्स की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ———रेस्पोंडेंट्स की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

–निर्णय– दिनांक 28.06.2023

उक्त अपील विरूद्ध नामान्तरकरण दिनांक 03.06.2022 तहसीलदार (भू0अ0) गुढागौड़जी जिला झुंझुनू के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – ग्राम टोडी की तन में भूमि खसरा नंबर 651 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 689 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1368/655 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 3.26 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या–8 द्वारा दिनांक 03.06.2022 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। उक्त नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व विहित प्रकिया का अवलम्बन नहीं किया गया तथा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा व न्यायालय की डिक्री का अवलोकन नहीं किया गया और उक्त विवादित नामांतकरण तस्दीक कर दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया गया कि– तहसीलदार गुढा–गौड़जी ने उक्त भूमि खसरा नंबर 651, 689 व 1368/655 के बाबत नामांतकरण तस्दीक करने के पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया, न ही अपीलान्टस को सुनवाई का कोई मौका दिया। बिना अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिये वाद–पत्र के विचाराधीन रहने के दौरान उक्त विवादित नामांतकरण तस्दीक किया गया है। उक्त विवादित भूमि समेत अपीलान्टस के पूर्वज मनसुख राम की अचल संपतियों के बाबत अपीलान्टस के पति एवं पिता श्री जगदीश पुत्र सूरजाराम ने दिनांक 16.03.2011 को न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनू में घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का एक दावा उनवानी जगदीश वगैरह बनाम रामप्रताप बतौर प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकार था। उक्त दावा का जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया। उक्त दावा में अपीलान्टस के पिता व पति ने मूल दावा की मद संख्या 2 पेज नंबर 10 में सम्पति संख्या 3 के रूप में उक्त विवादित संपति का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि का 4 बीघा 8 विस्वा सूरजाराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने बड़े पुत्र रामप्रताप के नाम से कय किया था जो संयुक्त परिवार के लिये [illegible] थी। सन 2002 में सूरजाराम फौत हुआ तब तक सूरजाराम के पूरे परिवार के कब्जे [illegible] व हक अधिकार की रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [illegible]
झुन्झुनूं

तथा उसके फौत होने पर उपरोक्त 4 बीघा 8 विस्वा भूमि जो नक्शे में लाल रंग से दिखाई गई है, मौखिक पारिवारिक विभाजन में वादी जगदीश पुत्र सूरजाराम के हिस्से में आई। इस कारण उक्त धारा बी में दर्ज काश्त की भूमि मैं वादी के हिस्से में कोई काश्त की भूमि नहीं आई है जो 10 बीघा खाम होती है। उक्त भूमि नजदीक व सड़क के दोनों ओर लगती है। इस कारण वादी को ढाई बीघा भूमि कम दी गई थी। इस भूमि पर वादी पुत्र जगदीश का ही कब्जा काश्त व हक अधिकार है तथा भाई बंट में उनके हिस्से में आई है।

उक्त दावा उनवानी जगदीश पुत्र रामप्रताप मु0नं0 51/2011 में उभय पक्षकारान द्वारा दिनांक 03.10.2011 को राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया। उक्त राजीनामा की मद संख्या 3 में विवादित सम्पति खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 वाके ग्राम टोडी के बाबत यह राजीनामा होता है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप के नाम दर्ज है, परन्तु आज दिनांक 03.10.2011 को इस जमीन का सलटारा इस प्रकार किया है कि 4 बीघा 8 विस्वा भूमि में से दक्षिण दिशा का 4 बीघा कच्ची भूमि वादी जगदीश प्रसाद के हिस्से में व जगदीश प्रसाद के हिस्से के पश्चात उत्तर दिशा की 4 बीघा कच्ची भूमि प्रतिवादी मोतीलाल के हिस्से में है तथा मोतीलाल के हिस्से के पश्चात उतरी 2 बीघा कच्ची भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप के हिस्से में आई है। यदि उक्त भूमि सड़क बाउन्ड्री में जायेगी तो वह रामप्रताप के हिस्से से जायेगी। इसी के अनुसार मौके पर काबिज हो गये हैं। प्रतिवादी नंबर 1 रामप्रताप उक्त भूमि वादी जगदीश प्रसाद व प्रतिवादी नंबर 2 मोतीलाल के नाम से रजिस्ट्री तस्दीक करा देगा।

उक्त राजीनामा दिनांक 03.10.2011 पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं। उक्त राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा के आधार पर उक्त दावा उनवानी जगदीश बनाम रामप्रताप वगैरह को दिनांक 12.02.2013 को डिक्री किया गया जिसमें उक्त विवादित संम्पति का राजीनामें के अनुसार फैसला किया गया जिसमें उक्त विवादित संपति का राजीनामें के अनुसार फैसला किया गया। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि बाबत मुकदमा जगदीश बनाम रामप्रताप वगैरह नं0मु0 51/2011 में प्रस्तुत राजीनामा व न्यायालय की डिक्री से उभय पक्षकारान पाबंद है। उक्त डिक्री के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [redacted]

अनुसार तहसीलदार गुढा गौड़जी को उक्त भूमि 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से 4 बीघा कच्ची भूमि अपीलान्ट के पति व पिता के नाम नामान्तरित करनी थी। किन्तु तहसीलदार गुढा गौड़जी ने माननीय न्यायालय की उक्त डिक्री अवहेलना करते हुये उक्त भूमि को अवैधानिक तौर से विक्रय करता रहा तथा वर्तमान में विवादित इंतकाल अपने पुत्र के नाम दर्ज करवा लिया। इस प्रकार भी उक्त नामांतरकरण उक्त डिक्री की अवहेलना कारित करते हुये तस्दीक किया गया है। उक्त विवादित भूमि के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामप्रताप के पुत्रगण सज्जन कुमार, पवन कुमार व विजय आपस में साजिश रचकर उक्त भूमि को हड़पने के आशय से एक दावा घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां उनवानी सज्जन कुमार बनाम रामप्रताप वगैरह मु0नं0 250/2020 दिनांक 29.10.2020 को पेश किया गया जो दावा वर्तमान में भी विचाराधीन है। उक्त दावा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया गया जिसके मुकदमा नंबर 189/2020 है। उक्त दावा में दिनांक 29.10.2020 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषधाज्ञा में अपीलांट्स का आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार अपीलांट को पक्षकार बनाया गया। उक्त दावो की मद संख्या में विवादित संपति का उल्लेख है तथा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश में चले दावा संख्या 56/2011 का भी व राजीनामा 03.10.2011 का भी उल्लेख किया गया है व प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप द्वारा किये गये दानपत्र दिनांक 13.10.2020 को अवैध शून्य व अवैधानिक बताया गया। बाद में उक्त दावा दिनांक 05.5.2020 को वादी सज्जन कुमार दिनांक 13.5.2022 को वादी विजय कुमार की ओर से साजसी तौर पर विड्रा किया जाता है तथा वाद पत्र की विचाराधीन रहने के दौरान ही उक्त भूमि का विवादित इंतकाल अवैधानिक तरीके से दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार भी उक्त नामांतरकरण वाद की विचाराधीनता के दौरान व स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान तस्दीक होने से खारिज होने योग्य है।

उक्त नामांतरकरण तस्दीक करने में तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विहित प्रक्रिया का अवलंबन नहीं किया गया। अपर जिला न्यायालय झुंझुन की डिक्री दिनांक 12.02.2013 की अवहेलना कारित करते हुये वाद की विचाराधीनता के दौरान स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला
झुन्झुनूं

आदेश प्रभावी रहने के दौरान उक्त नामांतकरण खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट उक्त गलत, अवैधानिक नामांतरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त विवादित भूमि को विक्रय, अंतरित, हस्तांतरित करने के लिए आमादा है तथा अपीलांट को उसकी 4 बीघा खाम भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में बाधा डालते हैं। अतः अपील अपीलांट्स पूर्णता स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 वाके ग्राम टोडी बाबत तस्दीक उक्त नामांतरकरण दिनांक 03.06.2022 निरस्त फरमाये तथा राजस्व रिकार्ड की दिनांक 03.06.2022 से पूर्व की स्थिति में दर्ज करवाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– ग्राम टोडी की तन में भूमि खसरा नंबर 651 रकबा 0.50 हैक्टेयर, खसरा नंबर 689 रकबा 2.70 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1368/655 रकबा 0.06 हैक्टेयर कुल रकबा 3.26 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या–8 द्वारा दिनांक 03.06.2022 को नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। उक्त नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व विहित प्रक्रिया का अवलम्बन नहीं किया गया तथा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा व न्यायालय की डिक्री का अवलोकन नहीं किया गया और उक्त विवादित नामांतकरण तस्दीक कर दिया गया।

तहसीलदार गुढा–गौड़जी ने उक्त भूमि खसरा नंबर 651, 689 व 1368/655 के बाबत नामांतकरण तस्दीक करने के पूर्व कोई नो[illegible] दिया। बिना अपीलांटस को सुनवाई का मौका दिये वाद–पत्र के विचाराधीन [illegible] के दौरान उक्त विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [illegible]
झुन्झुनूं

नामांतकरण तस्दीक किया गया है। उक्त विवादित भूमि समेत अपीलान्टस के पूर्वज मनसुखराम की अचल संपतियों के बाबत अपीलान्टस के पति एवं पिता श्री जगदीश पुत्र सूरजाराम ने दिनांक 16.03.2011 को न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनू में घोषणा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का एक दावा उनवानी जगदीश वगैरह बनाम रामप्रताप बतौर प्रतिवादी संख्या 1 पक्षकार था। उक्त दावा का जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया गया। उक्त दावा में अपीलान्टस के पिता व पति ने मूल दावा की मद संख्या 2 पेज नंबर 10 में सम्पति संख्या 3 के रूप में उक्त विवादित संपति का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने दर्ज किया है कि उपरोक्त भूमि का 4 बीघा 8 विस्वा सूरजाराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने बड़े पुत्र रामप्रताप के नाम से क्रय किया था जो संयुक्त परिवार के लिये क्रय की थी। सन 2002 में सूरजाराम फौत हुआ तब तक सूरजाराम के पूरे परिवार के कब्जे काश्त व हक अधिकार की रही तथा उसके फौत होने पर उपरोक्त 4 बीघा 8 विस्वा भूमि जो नक्शे में लाल रंग से दिखाई गई है, मौखिक पारिवारिक विभाजन में वादी जगदीश पुत्र सूरजाराम के हिस्से में आई। इस कारण उक्त धारा बी में दर्ज काश्त की भूमि मं वादी के हिस्से में कोई काश्त की भूमि नहीं आई है जो 10 बीघा खाम होती है। उक्त भूमि नजदीक व सड़क के दोनों ओर लगती है। इस कारण वादी की ढाई बीघा भूम कम दी गई थी। इस भूमि पर वादी पुत्र जगदीश का ही कब्जा काश्त व हक अधिकार है तथा भाई बंट में उनके हिस्से में आई है। दावा उनवानी जगदीश पुत्र रामप्रताप मु0नं0 51/2011 में उभय पक्षकारान द्वारा दिनांक 03.10.2011 को राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया। उक्त राजीनामा की मद संख्या 3 में विवादित सम्पति खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 वाके ग्राम टोडी के बाबत यह राजीनामा होता है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में रामप्रताप के नाम दर्ज है, परन्तु आज दिनांक 03.10.2011 को इस जमीन का सलटारा इस प्रकार किया है कि 4 बीघा 8 विस्वा भूमि में से दक्षिण दिशा का 4 बीघा कच्ची भूमि वादी जगदीश प्रसाद के हिस्से में व जगदीश प्रसाद के हिस्से के पश्चात उत्तर दिशा की 4 बीघा कच्ची भूमि प्रतिवादी मोतीलाल के हिस्से मं है तथा मोतीलाल के हिस्से के पश्चात उत्तरी 2 बीघा कच्ची भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप के हिस्से में आई है। यदि उक्त भूमि सड़क की ...डी में जावेगी तो वह रामप्रताप

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [illegible]
झुंझुनूं

के हिस्से से जायेगी। इसी के अनुसार मौके पर काबिज हो गये हैं। प्रतिवादी नंबर 1 रामप्रताप उक्त भूमि वादी जगदीश प्रसाद व प्रतिवादी नंबर 2 मोतीलाल के नाम से रजिस्ट्री तस्दीक करा देगा।

उक्त राजीनामा दिनांक 03.10.2011 पर उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर हैं। उक्त राजीनामा प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा के आधार पर उक्त दावा उनवानी जगदीश बनाम रामप्रताप वगैरह को दिनांक 12.02.2013 को डिक्री किया गया जिसमें उक्त विवादित संम्पति का राजीनामें के अनुसार फेसला किया गया जिसमें उक्त विवादित संपति का राजीनामें के अनुसार फैसला किया गया। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि बाबत मुकदमा जगदीश बनाम रामप्रताप वगैरह नं0मु0 51/2011 में प्रस्तुत राजीनामा व न्यायालय की डिक्री से उभय पक्षकारान पाबंद है। उक्त डिक्री के अनुसार तहसीलदार गुढा गौड़जी को उक्त भूमि 4 बीघा 8 विस्वा भूमि में से 4 बीघा कच्ची भूमि अपीलान्ट के पति व पिता के नाम नामान्तरित करनी थी। किन्तु तहसीलदार गुढा गौड़जी ने माननीय न्यायालय की उक्त डिक्री अवहेलना करते हुये उक्त भूमि को अवैधानिक तौर से विक्रय करता रहा तथा वर्तमान में विवादित इंतकाल अपन पुत्र के नाम दर्ज करवा लिया। इस प्रकार भी उक्त नामांतरकरण उक्त डिक्री की अवहेलना कारित करते हुये तस्दीक किया गया है। उक्त विवादित भूमि के बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामप्रताप के पुत्रगण सज्जन कुमार, पवन कुमार व विजय आपस में साजिश रचकर उक्त भूमि को हड़पने के आशय से एक दावा घोषणार्थ व स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के यहां उनवानी सज्जन कुमार बनाम रामप्रताप वगैरह मु0नं0 250/2020 दिनांक 29.10.2020 को पेश किया गया जो दावा वर्तमान में भी विचाराधीन है। उक्त दावा के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी पेश किया गया जिसके मुकदमा नंबर 189/2020 है। उक्त दावा में दिनांक 29.10.2020 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषधाज्ञा में अपीलांट्स का आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार अपीलांट को पक्षकार बनाया गया। उक्त दावो की मद संख्या में विवादित संपति का उल्लेख तथा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश में चले दावा संख्या 56/2011 का भी व राजीनामा 03.10.2011 का भी उल्लेख

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

किया गया है व प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप द्वारा किये गये दानपत्र दिनांक 13.10.2020 को अवैध शून्य व अवैधानिक बताया गया। बाद में उक्त दावा दिनांक 05.5.2020 को वादी सज्जन कुमार दिनांक 13.5.2022 को वादी विजय कुमार की ओर से सजसी तौर पर विड्रा किया जाता है तथा वाद पत्र की विचाराधीन रहने के दौरान ही उक्त भूमि का विवादित इंतकाल अवैधानिक तरीके से दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार भी उक्त नामांतरकरण वाद की विचाराधीनता के दौरान व स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान तस्दीक होने से खारिज होने योग्य है। उक्त नामांतरकरण तस्दीक करने में तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा विहित प्रक्रिया का अवलंबन नहीं किया गया। अपर जिला न्यायाधीश,झुंझुनू की डिक्री दिनांक 12.02.2013 की अवहेलना कारित करते हुये वाद की विचाराधीनता के दौरान स्थगन आदेश प्रभावी रहने के दौरान उक्त नामांतकरण खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट उक्त गलत, अवैधानिक नामांतरकरण के आधार पर राजस्व रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवाकर उक्त विवादित भूमि को विक्रय, अंतरित, हस्तांतरित करने के लिए आमादा है तथा अपीलांट को उसकी 4 बीघा खाम भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। रेस्पोडेन्ट अपीलांट के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में बाधा डालते हैं। अतः अपील अपीलांट्स पूर्णता स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 वाके ग्राम टोडी बाबत तस्दीक उक्त नामांतरकरण दिनांक 03.06.2022 निरस्त फरमाये तथा राजस्व रिकार्ड की दिनांक 03.06.2022 से पूर्व की स्थिति में दर्ज करवाया जावे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने पक्ष समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **AIR 2009 (NOC) 2103 (P&H)** पेश किया गया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– ग्राम टोडी की तन में कृषि भूमि खसरा नंबर 651 रकबा 0.5000, 689 रकबा 0.5500, खसरा नंबर 1368/655 रकबा 0.0600 का कुल रकबा 1.11 हैक्टर स्थित है। अपीलांट्स ने कुल रकबा 3.26 हैक्टर गलत दर्शित किया है। उनवानी अजीत सिंह बनाम सलीम आदि में उक्त कृषि भूमि का विभाजन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.09.[illegible] को जारी की गई जिसके आधार पर दिनांक 24.09.2012 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाजन [illegible] के अनुसार अंतिम डिक्री दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला [illegible]
[illegible]

26.09.2012 को जारी की गई जिसके विभाजित खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 किता 3 कुल रकबा 1.11 हैक्टर का मौके पर कब्जा काश्त रेस्पोडेन्ट नंबर 1 रामप्रताप का ही माना है जिसके अंतिम निर्णय व डिक्री व जमाबन्दी संलग्न है। रेस्पोडेन्ट संख्या–8 द्वारा कोई नामांतरकरण नहीं भरा है। रेस्पोडेन्ट संख्या–7 ने दिनांक 03.06.2022 को नामांतरकरण भरने से पूर्व पटवारी हल्का से पूर्ण रूप से जांच करवाने के पश्चात् विधि अनुसार नामांतरण भरा गया तथा पक्षकारान के मध्य तस्दीकशुदा कोई राजीनामा नहीं है। अर्थात अवैध, अप्रमाणित राजीनामा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश महोदय,झुंझुनू द्वारा कोई डिक्री विवादित कृषि भूमि खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 बाबत जानकारी नहीं की गई। अपीलांटस को अपील पेश करने का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि उक्त कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट नंबर 1 रामप्रताप ने अपनी स्वअर्जित आय से दिनांक 15.02.1971 को जरिये पंजीकृत विक्रयपत्र से क्रय की थी जिसके तत्कालीन खसरा नंबर 202 हैं। (विक्रय पत्र की फोटो प्रति संलग्न) विवादित नामांतरण संख्या 5165 दिनांक 03.06.2022 को तस्दीक के विरूद्ध अपील की बिन्दुवार लिखित बहस में अंकित किया गया कि–

" अपीलांट का विवादित भूमि भूमि खसरा नंबर 651 रकबा 0.5000, 689 रकबा 0.5500, खसरा नंबर 1368/655 रकबा 0.0600 का कुल रकबा 1.11 हैक्टर ग्राम टोडी से कोई लेनादेना नहीं है। अपीलांट ना खातेदार है और ना ही सहखातेदार है। नामांतरकरण संख्या 5165 विधि अनुसार व दस्तावेजी सबूत के अनुसार दिनांक 03.06.2022 को सही तस्दीक किया गया है। अपीलांट के पास कोई तस्दीकशुदा राजीनामा नहीं है, न कोई डिक्री है । ऐसी स्थिति में अपीलान्टस के पास कोई स्वत्व स्वामीत्व विवादित भूमि बाबत नहीं है। इस वजह से विवादित नामांन्तकरण के संबंध में अपीलांटस को नोटिस देने व सुनवाई का अवसर देने का कोई औचित्य नहीं है।रेस्पोडेन्टस नंबर 3, 4, व 5 द्वारा प्रस्तुत दावा उनवानी सज्जनकुमार आदि बनाम रामप्रताप आदि मुकदमा नंबर 250/2020 एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा भी दिनांक 18.10.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा खारिज किया जा चुका है। इस वजह भरा गया नामान्तकरण विधि अनुसार है तथा रेस्पोडेन्टस 3 व 5 ने अपना दावा मुकदमा नंबर 250/20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उद[illegible] से पूर्व विड्रा कर लिया था। शेष रेस्पोडेकन्ट नंबर 4 पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत दावा मुकदमा नंबर 250/20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा खारिज दिनांक [illegible] को हो चुका है। उनवानी दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 14:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

जगदीश आदि बनाम रामप्रताप आदि दिनांक 16.3.2011 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, झुंझुनू के समक्ष पेश किया था, लेकिन दावाके पक्षकारान जो सहखातेदार थे केमध्य कोई राजीनामा तथाकथित दिनांक 03.10.2011 को तस्दीक नहीं हुआ है। अप्रमाणित राजीनामा प्रारम्भ से ही शून्य है व वादपत्र के सभी पक्षकारान अर्थात तत्कालीन सभी सह खातेदारों के राजीनामा पर हस्ताक्षर नहीं हैं। यदि वादपत्र क औपचारिक पक्षकारान जो सहखातेदार हो को भी अपवर्जित कर दिया जाता है तो भी समझौता वैधानिक व प्रभावी समझौता नहीं हो सकता व अप्रमाणित राजीनामा पर तत्कालीन सहखातेदार के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण व विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जिसका मालिक भूमिधारक तहसीलदार है। राजीनाम के वाद में तहसीलदार पक्षकार नहीं था तथा कृषि भूमि बाबत विवाद सुनने का क्षेत्राधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है, सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था। इस कारण माननीय न्यायालय ने कृषि भूमि खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 बाबत निर्णय व डिक्री जारी नहीं की थी। जबकि दावा उनवानी सज्जन कुमार आदि बनाम रामप्रताप आदि मु0 नं0 250/20 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा में डिक्री व राजीनामा का आधार लिया था जो गलत लिया था। अपीलान्टस आदि का प्रतिदावा भी माननीय सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने रेस्पोडेन्टस व अपीलान्टस को पूर्णरूप से सुनवाई का मौका देकर दावा व प्रतिदावा दिनांक 18.10.2022 को खारिज किया जा चुका है। अपीलांटस स्वयं ने साजिश करके रेस्पोडेन्टस 3, 4, 5 सज्जन कुमार, पवन कुमार, विजय से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के समक्ष दावा उनवानी सज्जन कुमार आदि बनाम रामप्रताप आदि मु0नं0 250/20 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मु0नं0 189/20 में ग्राम टोडी के भूमि खसरा नंबर 651 रकबा 0.5000, 689 रकबा 0.5500, खसरा नंबर 1368/655 रकबा 0.0600 का कुल रकबा 1.11 हैक्टर में से केवल 0.23 हैक्टेयर में अपना 1/2 हिस्सा मानते हुये स्थगन आदेश की मांग की थी। विचाराधीनदावा मु0नं0 250/20 के दौरान रेस्पोडेन्ट 3, 5 सज्जन कुमार व विजय ने अपने पिता रेस्पोडेन्ट नंबर 1 रामप्रताप की स्वअर्जित आय से क्रयशुदा सम्पति खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 कुल रकबा 1.11 हैक्टर कृषि भूमि मानकर अपने हिस्से तक दावा व प्रार्थना पत्र विड्रा कर लिया। विड्रा करने के पश्चात अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 189/20 में केवल स्थगन आदेश रेस्पोडेन्ट नंबर 4 पवन कुमार के हिस्से तक लिया। शेष कृषि भूमि पर कोई स्थगन

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

नहीं था इस वजह से रेस्पोडेन्ट नंबर 2 विनोद कुमार के नाम से रकबा 0.88 हैक्टर कृषि भूमि बाबत भरा गया नामान्तकरण विधिअनुसार सही है। दावा सं0 250/20उनवानी सज्जन कुमार आदि बनाम रामप्रताप आदि आधारहीन होने के कारण दिनांक 18.10.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुवरवाटी द्वारा खारिह हो चुका है। अपीलांट का विधिक रूप से कोई कब्जा काश्त विवादित कृषि भूमि पर कभी नही रहा है अब भी नहीं है। राजस्व रिकार्ड सही व सत्य है। अब कब्जा काश्त विवादित सम्पूर्ण भूमि खसरा नंबर 651 रकबा 0.5000, 689 रकबा 0.5500, खसरा नंबर 1368/655 रकबा 0.0600 का कुल रकबा 1.11 हैक्टर स्थित ग्राम टोडी पर क्रेता रेस्पोडेन्टस नं0 2 का है जो मौके पर पुख्ता मकान बनाकर बिजली, पानी का कनेक्शन रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ने अपने नाम से लेकर अपने परिवार सहित आबाद है। विवादित कृषि भूमि में अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।"

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि विवादित नामांतरकरण संख्या 5165 दिनांक 03.06.2022 ग्राम टोडी तहसीलदार द्वारा दस्तावेजात के आधार पर हल्का पटवारी एवं भू0 अ0 निरीक्षक से बाद जांच विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत तस्दीक किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मेरे द्वारा अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की बहस एवं विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 5165 दिनांक 03.06.2022 ग्राम टोडी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की हल्का पटवारी एवं भू0अ0निरीक्षक की बाद जांच रिपोर्ट तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा पत्रावली पर किसी न्यायालय द्वारा कोई तस्दीकशुदा राजीनामा पेश नहीं किया गया है, न कोई डिक्री पेश की गई है। अपीलान्टस के पास कोई विधिक स्वत्व/स्वामीत्व विवादित भूमि के संबंध में हो ऐसा पत्रावली पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है। रेस्पोडेन्टस नंबर 3, 4, व 5 द्वारा प्रस्तुत दावा उनवानी सज्जन [illegible] आदि बनाम रामप्रताप आदि मुकदमा नंबर 250/2020 एवं अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को दिनांक [illegible].10.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा खारिज किया जा चुका है तथा रेस्पोडेन्टस 3 व 5 ने अपना दावा मुकदमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

नंबर 250/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से निर्णय से पूर्व विड्रा किया गया है। शेष रेस्पोडेन्ट नंबर 4 पवन कुमार द्वारा प्रस्तुत दावा मुकदमा नंबर 250/2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा दिनांक 18.10.2022 को खारिज हो चुका है। उनवानी दावा जगदीश आदि बनाम रामप्रताप आदि दिनांक 16.3.2011 को न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश,झुंझुनू के समक्ष पक्षकारान के मध्य दिनांक 03.10.2011 को कोई राजीनामा तस्दीक होने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है जिसका मालिक भूमि धारक तहसीलदार होता है। राजीनामा के वाद में तहसीलदार पक्षकार नहीं रहा है। दावा सं0 250/2020 उनवानी सज्जन कुमार आदि बनाम रामप्रताप आदि दिनांक 18.10.2022 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुवरवाटी द्वारा खारिज हो चुका है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है। कृषि भूमि के विवाद का निस्तारण सक्षम राजस्व अदालत में होता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा नामांतरकरण संख्या 5165 दिनांक 03.06.2022 ग्राम टोडी भूमि खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 जो दस्तावेजात के आधार पर तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा ग्राम टोडी भूमि खसरा नंबर 651, 689, 1368/655 के संबंध में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 5165 दिनांक 03.06.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

अतिरिक्त जिला कलक्टर
झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.07.14 17:37:00 IST
Reason: SelfAttested